# न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद

| उनवान संख्या | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 92/13 | 04.07.2013 | 26.09.2019 |

पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

## उनवान

कल्याण आत्मज नेनगा जाति बैरवा निवासी कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादी

बनाम

1. लक्ष्मण सिंह आत्मज छीतरसिंह जाति राजपूत
2. गुणराज सिंह आत्मज छीतरसिंह जाति राजपूत
3. राजेन्द्र सिंह आत्मज छीतरसिंह जाति राजपूत निवासीगण कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–92ए–188 आरटीएक्ट

उपस्थित – श्री भारत शर्मा एडवोकेट वादी की ओर से

– श्री राजकुमार नन्दवाना एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 ता 3 की ओर से

## निर्णय

वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89–92ए–188 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम रलायता तहसील दीगोद की ख0नं0 80 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा कृषि आराजी वादी के बड़े भाई गंगाराम पुत्र नेनगा जाति बैरवा निवासी कोटडादीपसिंह में मुताबिक जमाबंदी सं0 2024–27 में दर्ज है। प्रतिवादी नं0 4 के सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त भूमि के नवीन ख0नं0 122 रकबा 0.99 हे0, ख0नं0 123 रकबा 0.34 हे0, ख0नं0 124 रकबा 0.35 हे0, ख0नं0 125 रकबा 0.40 हे0 कुल किता 4 रकबा 2.08 हे0 कायम किये गये। प्रतिवादी नं0 4 ने उपरोक्त ख0नं0 80 की 4 बीघा 15 बिस्वा के 0.76 हे0 होते है उसके स्थान पर 2.08 हे0 गलत रूप से कायम किये गये है। प्रतिवादी नं0 4 के कर्मचारियों ने उक्त भूमि में से ख0नं0 124 व 125 की 2 किता की 0.75 हे0 भूमि वादी कल्याण के खातें दर्ज कर छः तथा नये ख0नं0 122 की 0.99 हे0 व ख0नं0 123 की 0.34 हे0 भूमि प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 के पिता के खातें दर्ज कर दिया, जो गलत है। उक्त गत ख0नं0 के पास ही गत ख0नं0 68 की 18 बीघा 13 बिस्वा भूमि खातेदार भैरूसिंह व छीतर सिंह, जुगराज सिंह आ0 धुलसिंह राजपूत के खातें दर्ज कर थी जिसके सेटलमेंट विभाग द्वारा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के नयें ख0नं0 96 की 1.39 हे0 व ख0नं0 95/396 की 0.29 हे0 अंकित किये गये तथा उक्त रकबें को पूरा करनें के लिये गत ख0नं0 80 के नये ख0नं0 122 रकबा 0.99 हे0 व ख0नं0 123 की 0.34 हे0 को प्रतिवादीगण के खातें दर्ज कर दिया गया है। वादी मुताबिक पूर्व ख0नं0 80 की सीमानुसार वर्षो से काबिज काश्त करता चला आ रहा है। सेटलमेंट विभाग



Scanned by CamScanner

द्वारा गत ख0नं0 80 का रकबा बढाकर पूर्व नक्शे को चार भागों मे वर्तमान ख0नं0 122, 123, 124, 125 में विभक्त कर ख0नं0 122 व 123 के रकबा को प्रतिवादीगण के खाते दर्ज करके गम्भीर त्रुटि की है जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं है तथा वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। सेटलमेंट विभाग को वादी के पूर्व नक्शे में त्रुटि करने का कोई अधिकार नहीं है तथा उक्त त्रुटि व खसरा नम्बर 122 व 123 की आराजी प्रतिवादीगण के खाते दर्ज कर दिये जाने की आड में प्रतिवादीगण वादी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी को हडपना चाहते है तथा वादी द्वारा काफी खर्च कर लगाई गई ट्यूब वेल को अपने कब्जे में लेने पर आमादा है जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही है। पुराने ख0नं0 80 की 4 बीघा 15 बिस्वा के अनुसार ख0नं0 122, 123, 124, 125 की भूमि रकबा 0.76 हे0 भूमि का वादी खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। वर्तमान में वादी अपने खाते व कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु ट्यूब वेल वाली भूमि गलती से प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के खाते दर्ज किये जाने के कारण प्रतिवादी नं0 1 ता 3 उक्त ट्यूब वेल वाली भूमि पर वादी को काश्त करने में व्यवधान पैदा कर रहा है। जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही है। वाद कारण दिनांक 30.06.2013 को प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 द्वारा वादी के कब्जे में व्यवधान पैदा करने व वादी की ट्यूब वेल का उपयोग करने की धमकी देने व वादी को ट्यूब वेल से पानी लेने से इन्कार करते हुए कब्जा न करने देने की व उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर पैदा हुआ।

अतः पेश कर वादी ने निवेदन किया है कि वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण के खिलाफ [illegible]

[illegible]

खातेदारी में कैसे व क्यों दर्ज किये गये वादी ने स्पष्ट नहीं किया। वर्तमान बन्दोबस्त विभाग ने नयें ख0नं0 122 की 0.99 हे0 व 123 की 0.34 हे0 मिलान क्षेत्रफल में गत ख0नं0 80 से कायम करना बताया है जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि गत ख0नं0 80 का रकबा केवल 4 बीघा 15 बिस्वा था जिसके हेक्टर 0.76 हे0 होते है गत ख0नं0 80 का रकबा पूरा हो गया तो नये ख0नं0 122 व 123 की रकबा गत ख0नं0 80 का कैसे हो सकता है वास्तव में प्रतिवादी के पिता की खातेदारी में गत ख0नं0 68 की 18 बीघा 13 बिस्वा खातेदारी मे थी तथा वर्तमान बन्दोबस्त से नये ख0नं0 99/396 की 0.29, 96 की 1.39, 122 की 0.99, 123 की 0.34 हे0 कुल 3.01 हे0 के 18 बीघा 13 बिस्वा होते है। इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग ने पूरा रकबा प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज किया है। मिलान क्षेत्रफल के नये ख0नं0 99/396 व 96 के पुराना ख0नं0 68 लिखा है किन्तु नये ख0नं0 122, 123 के पुरानें ख0नं0 80 सहवन या त्रुटि से लिख दिये जो रिकॉर्ड व नये पुरानें रकबें से प्रमाणित है। इस प्रकार वर्तमान बन्दोबस्त विभाग ने प्रतिवादी की खातेदारी में सही तौर पर पूरा रकबा दर्ज किया है तथा वादी किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं है। वादी अपनें पुरानें रकबें से अधिक रकबें की अवैध मांग नहीं कर सकता है। वादी की 4 बीघा 15 बिस्वा व प्रतिवादी की 18 बीघा 13 बिस्वा की पैमाईश की जावें तथा वादी का 0.76 हे0 तथा प्रतिवादी का 3.01 हे0 रकबा प्रतिवादी को पैमाईश कर संभलाये जानें में इस प्रतिवादी को आपत्ति नहीं है तथा वाद इस प्रकार से डिक्री किये जानें में प्रतिवादी की सहमति है प्रतिवादी की मांग कानून सम्मत् है जिसके अनुसार निर्णय किया जाना चाहिए। इस प्रकार कथन कर प्रतिवादी नं0 1 ता 3 नें निवेदन किया कि वादी की खातेदारी में 0.76 हे0 तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी का रकबा 3.01 हे0 की मौके पर पैमाईश कर वादी का रकबा 0.76 हे0 वादी को तथा प्रतिवादी का रकबा 3.01 हे0 प्रतिवादी को संभलाया जावें तथा यदि पैमाईश करनें पर ख0नं0 व कब्जें में अन्तर हो तो वादी के कब्जें वाली भूमि में से 0.76 हे0 वादी की खातेदारी में तथा 3.01 हे0 प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज की जाने की डिक्री प्रदान की जावें। प्रकरण में जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल है।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये–

1. साक्ष्य शपथ पत्र PW1 कल्याण पुत्र नेनगा आयु 60 वर्ष जाति बैरवा निवासी कोटड़ादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा
2. साक्ष्य शपथ पत्र PW2 रामकल्याण पुत्र मोतीलाल आयु 75 वर्ष जाति गूर्जर निवासी रलायता तहसील दीगोद जिला कोटा
3. साक्ष्य शपथ पत्र PW3 भंवरलाल पुत्र रामप्रताप आयु 45 वर्ष जाति बैरवा निवासी रलायता तहसील दीगोद जिला कोटा
4. साक्ष्य शपथ पत्र PW4 रामचन्द्र पुत्र ओंकारलाल आयु 70 वर्ष जाति बैरवा निवासी कोटड़ादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा
5. साक्ष्य शपथ पत्र PW5 भंवरलाल पुत्र गोरूलाल आयु 40 वर्ष जाति बैरवा निवासी दम्बूलिया रणमल तहसील दीगोद जिला कोटा
6. साक्ष्य शपथ पत्र PW6 राधेश्याम पुत्र शंकरलाल जाति बैरवा निवासी हनोतियां तहसील दीगोद जिला कोटा



Scanned by CamScanner

7. साक्ष्य शपथ पत्र DW1 राजेन्द्र सिंह पुत्र छीतर सिंह आयु 40 वर्ष जाति राजपूत निवासी कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा
8. साक्ष्य शपथ पत्र DW2 बृजमोहन पुत्र भवाना लाल आयु 65 वर्ष जाति कोली निवासी कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा
9. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम रलायता सं0 2068–71 खाता नं0 26 प्रदर्श–7
10. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम रलायता सं0 2068–71 खाता नं0 6 प्रदर्श–1
11. प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल ग्राम रलायता सं0 2043–62 प्रदर्श–3
12. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम रलायता सं0 2024–27 प्रदर्श–4
13. प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल ग्राम रलायता सं0 2043–62 प्रदर्श–5
14. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम रलायता सं0 2024–27 प्रदर्श–6
15. छायाप्रति नक्शा ट्रेस ग्राम रलायता सं0 2010–11 प्रदर्श

प्रकरण में निम्न विवाद्यकों का निर्धारण किया गया–

1. आया पुरानें ख0नं0 80 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा (0.76 हे0) के भू–प्रबंध बाद ख0नं0 122, 123, 124, 125 कायम किये गये, जिसका रकबा गलत रूप से 2.08 हे0 कायम किया गया ? –जिम्मे वादी
2. आया वादी वर्तमान में नक्शें के अनुसार पुरानें ख0नं0 80 के पूरे रकबे पर काबिज काश्त है तथा उक्त भूमि पर वादी द्वारा ट्यूबवेल लगाया गया। वर्तमान में नक्शें के अनुसार ट्यूबवेल नये ख0नं0 122 व 123 की भूमि पर स्थित है ? – जिम्मे वादी
3. आया प्रतिवादी वर्तमान में नक्शे के अनुसार पुरानें ख0नं0 68 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा पर काबिज है ? –जिम्मे प्रतिवादी
4. आया नये ख0नं0 122 व 123 का रकबा मौके पर पुरानें ख0नं0 68 के रकबे का हिस्सा है तथा भू-प्रबंध विभाग द्वारा इसे पुरानें ख0नं0 80 से बनना बताया जाना त्रुटिपूर्ण है ? – जिम्मे प्रतिवादी
5. सहायता

बाद साक्ष्य विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। बाद बहस पत्रावली का सावधानीपूर्वक गहन, मनन अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर भी विचार किया। तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है–

तनकी नं0 1– आया पुरानें ख0नं0 80 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा (0.76 हे0) के भू–प्रबंध बाद ख0नं0 122, 123, 124, 125 कायम किये गये, जिसका रकबा गलत रूप से 2.08 हे0 कायम किया गया ? उक्त तनकी को सिद्ध करनें का भार वादी पर था। वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य प्रदर्श–3 व प्रदर्श–5 मिलान क्षेत्रफल सं0 2043–42 के अवलोकन से तो स्पष्ट है कि साबिक ख0नं0 80 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा था तथा बाद सेटलमेंट ख0नं0 80 के नवीन खसरा नम्बर 122 रकबा 0.99 हे0, ख0नं0 123 रकबा 0.34 हे0, ख0नं0 124 रकबा 0.35 हे0, ख0नं0 125 रकबा 0.40 हे0 कायम किये गये। साबिक ख0नं0 80 के रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा को दशमलव प्रणाली में बदलने पर रकबा 0.76 हे0 बनता है, किन्तु मिलान क्षेत्रफल



Scanned by CamScanner

बनाते समय ख0नं0 80 से बने नवीन खसरा नम्बरान् का कुल रकबा 2.08 हे0 कायम किया गया है, जो दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर आता है। अतः उक्त तनकी को इसी अनुरूप तय किया जाता है।

तनकी नं0 2– आया वादी वर्तमान मे नक्शें के अनुसार पुरानें ख0नं0 80 के पूरें रकबें पर काबिज काश्त है तथा उक्त भूमि पर वादी द्वारा ट्यूबवेल लगाया गया। वर्तमान में नक्शें के अनुसार ट्यूबवेल नयें ख0नं0 122 व 123 की भूमि पर स्थित है ? उक्त तनकी को सिद्ध करनें का भार वादी पर था। चूंकि वर्तमान में ख0नं0 122 व 123 की भूमि प्रतिवादीगण के खातें में दर्ज चली आ रही है तथा पूर्व में ट्यूबवेल किस ख0नं0 पर लगाया गया था, उक्त तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। गवाहान के बयानों से भी उक्त तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि ट्यूबवेल पूर्व में किस ख0नं0 पर स्थापित था तथा वर्तमान में किस ख0नं0 पर स्थापित है। लिहाजा उक्त तनकी विरुद्ध वादी तय की जाती है।

तनकी नं0 3– आया प्रतिवादी वर्तमान में नक्शे के अनुसार पुराने ख0नं0 68 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा पर काबिज है ? उक्त तनकी को सिद्ध करनें का भार प्रतिवादीगण पर था। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य प्रदर्श–7 जमाबंदी सं0 2068–71 खाता नं0 26 के अनुसार वर्तमान में प्रतिवादीगण के खाते में कुल भूमि 3.01 हे0 दर्ज है। जो पूर्व रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा के अनुसार सही है। आराजी 18 बीघा 13 बिस्वा को दशमले प्रणाली में बदलनें पर लगभग 3.01 हे0 ही होता है। जिससे प्रमाणित है कि प्रतिवादीगण के खातें में पूर्व रकबा के मुकाबलें अधिक भूमि दर्ज नही की गई है। अतः उक्त तनकी बहक प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं0 4– आया नये ख0नं0 122 व 123 का रकबा मौके पर पुरानें ख0नं0 68 के रकबें का हिस्सा है तथा भू–प्रबंध विभाग द्वारा इसें पुरानें ख0नं0 80 से बनना बताया जाना त्रुटिपूर्ण है ? उक्त तनकी को सिद्ध करनें का भार प्रतिवादीगण पर था। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य प्रदर्श–3 व 5 से तथा तनकी नं0 1 के विवेचन उपरान्त हाल ख0नं0 122 व 123 साबिक ख0नं0 80 से बनना जाहिर आता है। किन्तु साबिक ख0नं0 80 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा को हेक्टर में बदलनें इसका रकबा 0.76 हे0 ही बनता है। इस प्रकार उक्त तथ्य तो प्रमाणित है कि प्रतिवादीगण के खातें मे पूर्व रकबा के मुकाबलें अधिक भूमि दर्ज नहीं की गई है। परन्तु सेटलमेंट विभाग द्वारा बनाये गये मिलान क्षेत्रफल से साबिक ख0नं0 80 रकबा 4 बीघा 15 से नवीन ख0नं0 122, 123, 124, 125 बनाये गये जबकि वादी के खातें दर्ज ख0नं0 124 व 125 का कुल रकबा 0.75 हे0 दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण के खातें में ख0नं0 122 व 123 दर्ज किया गया उक्त दोनों ख0नं0 का कुल रकबा 1.33 हे0 बनता है जो कि पूर्व के मुकाबले सही अंकित किया गया है, किन्तु ख0नं0 122, 123, 124, 125 का कुल रकबा जोड़ा जाता है तो 2.08 हे0 होता है, जो कि पूर्व रकबें के मुकाबलें अधिक अंकित किया गया है। इस प्रकार यह तय है कि मिलान क्षेत्रफल बनाते समय सहवन से ख0नं0 122 व 123 को पूर्व खसरा नम्बर 80 से बनना बताया गया है। अतः उक्त तनकी बहक प्रतिवादीगण तय की जाती है।

Scanned by CamScanner

सहायता– उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रकरण में उक्त तथ्य प्रमाणित है कि वादी की खातेदारी में पूर्व रकबा अनुसार वर्तमान में पूरा रकबा अंकित है। जिससे वादी को किसी प्रकार का अनुतोष इस वाद पत्र के माध्यम से दिया जाना उचित नहीं पाते है और न ही वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करनें का अधिकारी है।

परिणामतः वाद वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 26/09/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा

**(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)**

**अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा**

## <u>उनवान</u>

कल्याण आत्मज नेनगा जाति बैरवा निवासी कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा — वादी

**<u>बनाम</u>**

1. लक्ष्मण सिंह आत्मज छीतरसिंह जाति राजपूत
2. गुणराज सिंह आत्मज छीतरसिंह जाति राजपूत
3. राजेन्द्र सिंह आत्मज छीतरसिंह जाति राजपूत निवासीगण कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा

— प्रतिवादीगण

**<u>वाद अन्तर्गत धारा 88–89–92ए–188 आरटीएक्ट</u>**

**मिसल नम्बर–92 / 13**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कराई रु–ब–रु मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री भारत शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुददई रुबरु मिनजानिब श्री राजकुमार नन्दवाना एडवोकेट मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी खारिज किया जाता है।" तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 26/09/2019 को जारी किया गया।

| मिलान स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुद्दई | रुपये | पैसे | मुदालयह | रुपये | पैसे |
| स्टाम्प वकालतनामा | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| स्टाम्प वसूल सबूत | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| महन्ताना वकील | 0 | 0 | महन्ताना वकील | 0 | 0 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 0 | खर्चा गवाहान | 0 | 0 |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 | बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 |
| मुत0 | 0 | 0 | मुत0 | 0 | 0 |
| मिलान | 0 | 0 | मिलान | 0 | 0 |

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)

सहायक कलक्टर,

दीगोद



Scanned by CamScanner